

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या-57/2024

राज्य बनाम् ट्रैक्टर नं०-JH24K-9506, इंजन नं०-33.1008/SEM0 8682,
चेचिस नं०-MBNAG48 ACNTM79180 के स्वामी एवं अन्य (दो वाहन)

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
निष्पत्ती तारीख

19/05/25

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापक-614/अप०शा०, दिनांक-30.04.2024 द्वारा पतरातू थाना काण्ड संख्या-24/2024, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत 1. ट्रैक्टर नं०-JH24K-9506, इंजन नं०-33.1008/SEM0 8682, चेचिस नं०-MBNAG48 ACNTM79180, 2. ट्रैक्टर नं०-JH24L-5076, इंजन नं०-33.1008/SFG04048, चेचिस नं०-MBNAG48A CPTG80856 एवं 3. ट्रैक्टर नं०-JH24L-9509, इंजन नं०-33.1008/SFD01994, चेचिस नं०-MBNA G48ACPT80167 एवं उस पर लदे अवैध बालू को राज्यसात की कार्रवाई अनुशंसा की गई है। उक्त प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1068/विधि, दिनांक-03.05.2024 से जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से मंतव्य की मांग की गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक-621/खनन, दिनांक-15.05.2024 के द्वारा राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr.) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही बिना प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।